प्रेपक,

अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

समस्त मण्डलायुक्त / अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश। पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमवुद्धनगर / कानुपर / वाराणसी ।

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनकः दिनांकः 🕻 \rceil जुलाई. 2021 विषय:— उच्च कोविड धनात्मकता वाले प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रियों की यात्रा पूर्व कोविड जांच के संबंध में।

महोदय.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में कोविड संचरण की रिथति पर वर्तमान में काफी हद तक प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोविड धनात्मक दर .04 % है जबिक देश के अन्य अनेक प्रदेशों में यह दर अभी भी उच्च बनी हुई है। अनेक विषय विशेपज्ञों तथा आई.सी.एम.आर. के द्वारा माह अगरत के अन्तिम सप्ताह से देश में कोविड महामारी की तीसरी लहर की सम्भावना व्यक्त की गयी है। ऐसे में आवश्यक है कि प्रदेश में कोविड रोग के नये संचरण के मामलों की सम्भावना को रोकते हुए वर्तमान न्यून कोविड धनात्मक दर को स्थापित रखे जाने हेत् आवश्यक सभी उपाय अपनाये जायं तथा कोविड संचरण के नये मामलों को रोकने के लिए उचित व्यवस्था स्थापित की जाय।

- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश स्तर से प्रत्येक माह में दो वार 3 % अथवा इससे अधिक कोविड धनात्मकता वाले राज्यों की सूचियाँ स्वास्थ्य विभाग की वेवसाइड पर प्रकाशित की जाय, जहाँ से आने वाले यात्रियों को उत्तर प्रदेश में यात्रा से पूर्व के 03 दिवसों में आई.टी.पी.सी.आर. ऋणात्मक जॉच अथवा यात्री के कोविड टीकाकरण से पूर्ण आच्छादित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- उपराक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, अन्तर्राज्यीय वस स्टेशन तथा उच्च केस लोड वाले प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की उनके आगमन स्थल पर गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-1054/2021-सीएक्स-3, दिनांक 19.06.2021 के अनुसार स्कीनिंग एवं एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेत् अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होंगी।
- कृपया उक्त निर्देशों के कम में जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त/ वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से अपने–अपने जनपदों में उक्त व्यवस्था लागू किये जाने संवंधी आगमन स्थलों की विवरणवार रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अवनीश कुमार अवस्थी) अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन। 4.
- मुख्य स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश। 2.
- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। *3*.
- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या–1536 / पॉच–5–2021, 4. विनांक 17.07.2021 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही हेत्।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें. उ०प्र०। **_**5.

आज्ञा से. (मनीज वर्मी) अनु सचिव।



State Control Room, Integrated Disease Surveillance Programme Vector Borne Disease Division Directorate of Health Services, Uttar Pradesh Lucknow Travel Alert for COVID-2019

IMPORTANT TRAVEL ADVISORIES FOR TRAVELERS COMING TO UTTAR PRADESH FROM HIGH COVID POSITIVITY STATES

ADVISORY ONE (FOR TARVELERS REACHING UTTAR PRADESH BETWEEN JULY 24-31, 2021)

Travelers coming to Uttar Pradesh from high COVID positivity states (States of Manipur, Mizoram, Kerala, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura, Maharashtra, Goa, Odisha or Andhra Pradesh) between 24th July to 31st July,2021 must make one of the following documents available at the point of entry into Uttar Pradesh -

- 1. Negative report for a RTPCR COVID sample collected between 20th to 23rd of July, 2021.
- 2. Certificate of complete vaccination (Having received both doses of a vaccine) for COVID.

We request your cooperation and wish you a Happy, Healthy and Safe stay in Uttar Pradesh.

उच्च कोविड धनात्मकता वाले प्रदेशों (मणिपुर, मिजोरम, केरल, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा अथवा आंध्र प्रदेश) से 24 से 31 जुलाई 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इन तिथियों के मध्य उत्तर प्रदेश में आगमन हेतु आपको निम्न में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा —

- 1. दिनांक 20 से 23 जुलाई 2021 के मध्य कोविड जाँच हेतु दिए गए आर0टी0पी0सी0आर0 सैंपल की ऋणात्मक रिपोर्ट
- 2. कोविड के पूर्ण टीकाकरण (वैक्सीन की दोनों डोज लग जाने) का प्रमाण पत्र

हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उत्तर प्रदेश में आपके स्वस्थ एवं सुरक्षित प्रवास की कामना करते हैं ।

State Surveillance Officer
Uttar Pradesh

Whom Age



State Control Room, Integrated Disease Surveillance Programme Vector Borne Disease Division Directorate of Health Services, Uttar Pradesh Lucknow Travel Alert for COVID-2019

ADVISORY TWO (FOR TARVELERS REACHING UTTAR PRADESH BETWEEN AUGUST 01-15, 2021)

List of high positivity states based on the weekly positivity rate (16-22 July) will be published on website http://dgmhup.gov.in on the 24th of July.

Travelers coming to Uttar Pradesh between August 1 to 15, 2021 from the States mentioned in this list (to be published on July 24) must make one of the following documents available at the point of entry into Uttar Pradesh -

- 1. A Negative report for a RTPCR COVID sample collected between 28th to 31st of July, 2021.
- 2. Certificate of complete vaccination (Having received both doses of a vaccine) for COVID.

We request your cooperation and wish you a Happy, Healthy and Safe stay in Uttar Pradesh.

दिनांक 16 से 22 जुलाई के सप्ताह की धनातात्मकता के अधर पर इस अविध के उच्च कोविड धनात्मकता वाले प्रदेशों की सूची वेब साईट http://dgmhup-gov-in पर दिनाँक 24 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। इन सूची में प्रकाशित राज्यों से दिनांक 01 से 15 अगस्त 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश में यात्रा हेतु आपको निम्न में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा

- 1. दिनांक 28 से 31 जुलाई, 2021 के मध्य कोविड जाँच हेतु दिए गए आर0टी0पी0सी0आर0 सैंपल की ऋणात्मक रिपोर्ट
- 2. कोविड के पूर्ण टीकाकरण (वैक्सीन की दोनों डोज लग जाने) का प्रमाण पत्र

हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उत्तर प्रदेश में आपके स्वस्थ एवं सूरक्षित प्रवास की कामना करते हैं ।

State Surveillance Officer
Uttar Pradesh

Wissen Agend